कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, (पटना)

(आपूर्ति शाखा)

सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के ज्ञापांक–1514, दिनांक–04.04.2019, जिलाधिकारी पटना के पत्रांक–316/आ0, दिनांक–10.02.2021 एवं अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति) पटना के पत्रांक–198/आ0, दिनांक–01.02.2022 द्वारा मसौढ़ी अनुमंडल क्षेत्र अन्तर्गत नगर परिषद एवं पंचायत बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2016 में प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के परिपत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016 में विहित प्रावधानों के तहत् वर्ष 2011 के जनसंख्या के अनुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियो का रोस्टर के आधार पर नये अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिए मसौढ़ी अनुमंडल अन्तर्गत संबंधित पंचायत/वार्ड (नगर क्षेत्र) में चिन्हित व्यापार स्थल हेतु कुल 24 (चौबीस) रिक्त जन वितरण प्रणाली दुकानों की नई अनुज्ञप्ति के लिए योग्य आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

विभागीय पत्रांक–1571/खाद्य दिनांक–28.03.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के अन्तर्गत उचित मूल्य के दुकान की नई अनुज्ञप्ति हेतु नये सिरे से आवेदको से आवेदन प्राप्त किया जाना है। रिक्तियाँ जिसमें अनुसूचित जाति–04 (चार), पिछड़ा वर्ग–02 (दो), पिछड़े वर्गो की महिला–02 (दो), अत्यंत पिछड़ा वर्ग–04 (चार) अनारक्षित–08 (आठ), अनुसूचित जन जाति–01 (एक), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–03 (तीन) को भरने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

1. आवेदन–पत्र जमा करने की विधि एवं फार्म : पूर्णरूपेण भरा हुआ आवेदन पत्र व्यक्ति से विहित अनुसूची–01 तथा स्वंय सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियाँ/पूर्ण सैनिकों की सहयोग समितियाँ से विहित अनुसूची–02 में अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी के कार्यालय में दिनांक– 10.05.2022 तक कार्यालय अवधि में निर्धारित काउन्टर पर बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त कराया जा सकेगा। जिस रिक्ति के विरूद्ध आवेदन दिया जा रहा है, उसका स्पष्ट उल्लेख लिफाफे पर रहना चाहिए। आवेदन प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. आयु/शैक्षणिक योग्यता :–

(क) न्यूनतम आयु– 18 वर्ष ।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता – मैट्रिक पास।

(ग) कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।

(घ) कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्यता को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ड.) समान शैक्षणिक योग्यता की स्थिति में अधिक प्राप्तांक वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

(च) समान शैक्षणिक योग्यता एवं प्राप्तांक की समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।

3. उचित मूल्य की दुकान के आवंटन में प्राथमिकताएँ (आरक्षण के प्रावधानान्तर्गत) :–

(क) स्वंय सहायता समूह।

(ख) महिलाओं की सहयोग समितियाँ।

(ग) पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ।

(घ) शिक्षित बेरोजगार।

(ड.) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड (नगर क्षेत्र) के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।

* स्वंय सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य जिस वर्ग(अनु0 जाति, अनु0 जन जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिलाएँ तथा सामान्य) के रहेंगे तो ऐसे स्वंय सहायता समूहों या महिलाओं/पूर्व सैनिकों की सहयोग समितियों की गणना उनकी आरक्षण स्थिति के अवधारण के प्रयोजनार्थं उसी वर्ग में की जायेगी।

4. उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्ति की निरर्हताएँ :–

(क) एक संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी। पिता, माता, भाई, भाई की पत्नी(भाभी), पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु और सौतेला भाई परिवार की परिभाषा में आयेंगे।

(ख) मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, विधान पार्षद, सांसद तथा नगर निकायों के निर्वाचित सदस्य इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु निरर्हित (Disqualified) रहेंगे।

(ग) आटा चक्की के मालिक एवं उनके निकट संबंधियों को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(घ) अव्यस्क या पागल या दिवालिया को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

(ड.) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अथवा अन्य किसी आपराधिक मामले में अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष व्यक्ति को उचित मूल्य के दुकान की अनुज्ञप्ति आवंटित नहीं की जायेगी।

(च) सरकार के लाभ का पद धारण करने वाले को उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

5. चयन प्रक्रिया :– सभी प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जाँच संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक द्वारा कराया जायेगा। जाँचोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी अपनी अनुशंसा के साथ जिला स्तरीय चयन समिति को आवेदन पत्र प्रेषित करेंगे। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के उपरांत अनुशंसित आवेदकों को मो0 1000/–(एक हजार) रू0 मात्र का ट्रेजरी चालान के माध्यम से अनुज्ञप्ति शुल्क जमा करने के उपरांत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी।

6. आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि :– विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक सभी कागजातों के साथ दिनांक– 10.05.2022 को संध्या 5.00 बजे तक अनुमंडल कार्यालय, मसौढ़ी के आपूर्ति शाखा में बंद लिफाफे में या निबंधित डाक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7.पंचायत/ वार्ड के जन वितरण प्रणाली के दुकानों के रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:

क्र0	प्रखंड का नाम	रोस्टर बिन्दु	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्ति की कुल संख्या	रिक्ति का आरक्षण कोटी	अभियुक्ति
1	पुनपुन	315	पोठही	1	अनारक्षित (महिला)	प्रखंड पुनपुन के पोठही पंचायत में व्यापार स्थल पोठही के लिए
2		316	पैमार	1	अनुसूचित जाति	प्रखंड पुनपुन के पैमार पंचायत व्यापार स्थल पैमार के लिए
3	धनरूआ	317	नदवां	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	धनरूआ प्रखंड के नदवां पंचायत में व्यापार स्थल नीमा के लिए
4		318	सोनमई	1	पिछड़े वर्गो की महिला	धनरूआ प्रखंड के सोनमई पंचायत में व्यापार स्थल सोनमई के लिए
		319		1	अनुसूचित जन जाति	धनरूआ प्रखंड के सोनमई पंचायत में व्यापार स्थल देवकली के लिए
5		320	हुलासचक बीर	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	धनरूआ प्रखंड के हुलासचक बीर पंचायत में व्यापार स्थल ननौरी के लिए
6		321	साण्डा	1	अनारक्षित (महिला)	धनरूआ प्रखंड के सांण्डा पंचायत में व्यापार स्थल साण्डा के लिए
7		322	धनरूआ पंचायत	1	पिछड़ा वर्ग	धनरूआ प्रखंड के धनरूआ पंचायत में व्यापार स्थल जलालपुर के लिए
8		323	मई नेतोल	1	अनारक्षित	धनरूआ प्रखंड के मई नेतोल पंचायत में व्यापार स्थल मई के लिए
9		324	विजयपुरा	1	अनुसूचित जाति (महिला)	धनरूआ प्रखंड के विजयपुरा पंचायत में व्यापार स्थल विजयपुरा के लिए
10		325	छाती	1	अनारक्षित	धनरूआ प्रखंड के छाती पंचायत में व्यापार स्थल छाती के लिए
11		326	बहरामपुर	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	धनरूआ प्रखंड के बहरामपुर पंचायत में व्यापार स्थल बहरामपुर के लिए
12	मसौढ़ी	327	शाहाबाद	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)	मसौढ़ी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत में व्यापार स्थल शाहाबाद के लिए
13		328	लखनौर बिन्दोली	1	अनुसूचित जाति	मसौढ़ी प्रखंड के लखनौर बिदौली पंचायत में व्यापार स्थल चकिया के लिए
14		329	कराय	1	अनारक्षित	मसौढ़ी प्रखंड के कराय पंचायत में व्यापार स्थल घोरहुआँ के लिए
15		330	बारा	1	पिछड़ा वर्ग	मसौढ़ी प्रखंड के बारा पंचायत में व्यापार स्थल बारा के लिए
		331		1	अनारक्षित	मसौढ़ी प्रखंड के बारा पंचायत में व्यापार स्थल नदौना के लिए
16		332	तिनेरी	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मसौढ़ी प्रखंड के तिनेरी पंचायत में व्यापार स्थल तिनेरी के लिए
17		333	भैसवां	1	अनारक्षित (महिला)	मसौढ़ी प्रखंड के भैसवां पंचायत में व्यापार स्थल दरियापुर के लिए
		334		1	अनुसूचित जाति	मसौढ़ी प्रखंड के भैसवां पंचायत में व्यापार स्थल भैसवां के लिए
18		335	नदौल	1	अनारक्षित	मसौढ़ी प्रखंड के नदौल पंचायत में व्यापार स्थल बैरमचक के लिए
19	नगर परिषद् मसौढ़ी	336	वार्ड 9	1	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	मसौढ़ी नगर परिषद में व्यापार स्थल वार्ड संख्या–09 के लिए
20		337	वार्ड 20	1	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	मसौढ़ी नगर परिषद में व्यापार स्थल वार्ड संख्या–20 के लिए
21		338	वार्ड 25	1	पिछड़ा वर्ग (महिला)	मसौढ़ी नगर परिषद में व्यापार स्थल वार्ड संख्या–25 के लिए
		कुल रिक्तियों की संख्या:–		**24**		

नोट :– (1) बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016, के अधीन उचित मूल्य की दुकान के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र अनुसूची–01 एवं अनुसूची–02 में वर्णित बिंदुओं से संबंधित साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए बेबसाईट www. patna.nic.in एवं अनुमंडल कार्यालय के बेवसाईट eblocks.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

विस्तृत जानकारी के लिए बेबसाईट state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी
मसौढ़ी

PR- 000791 (District) 2022-23

अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।